<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या- 59/2015/लो0शि0-13/एक-6-2015-135(5)/2014</u>

प्रेषक,

क्षेत्रपाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 20 जुलाई, 2015**

विषय:- राजस्व परिषद में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्रीपंचम लाल व अन्य प्रार्थीगणों के प्रार्थना पत्र दिनांक 29-06-2015(छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रार्थीगणों द्वारा लम्बी सेवा व आर्थिक मानसिक कठिनाइयों के दृष्टिगत अपनी सेवा को विनियमित किये जाने का अनुरोध किया गया है। अत: कृपया दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों को विनियमित किये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2001 के आलोक में प्रार्थीगणों को विनियमित किये जाने के औचित्य पर अपने अभिमत सहित आख्या/संस्तुति शासन को तीन दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- प्रकरण मा0 मुख्यमंत्री जी के लम्बित कम्प्यूटर संदर्भ से आच्छादित है। अत: कृपया व्यक्तिगत ध्यान देकर समयबद्ध रूप से सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोक्त</u>

भवदीय,

(क्षेत्रपाल)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- लो0शि0-13 (1)/एक-6-2015, तद्दिनांक</u>।

प्रतिलिपि लोक शिकायत अनुभाग-2 को उनके पत्र संख्या-PGO 5-649042/लो0शि0-2/2015, दिनांक 02-07-2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक काकर्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(क्षेत्रपाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in